


उप कंट गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहाद जिला भिण्ड 461004



11/02/17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 11.02.17 को प्रस्तुत।

आवेदिका द्वारा अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव उप0।

अनावेदक की ओर से कोई उप0 नहीं।


आवेदिका की ओर से आवेदिका के अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव द्वारा प्रकरण में एक आवेदन पत्र लोक अदालत में प्रत्याहरण बावत् इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अनावेदक की मृत्यु हो गयी है इस कारण से आवेदिका आज लोक अदालत में अपना प्रकरण वापस प्रत्याहृत करना चाहती है। आवेदिका की ओर से उसके अधिकृत अधिवक्ता द्वारा आवेदन एवं मेगा लोक अदालत आवेदन पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया गया है।

चूंकि अनावेदक की मृत्यु के कारण आवेदिका का प्रकरण चलाने का कोई औचित्य शेष नहीं है इस कारण प्रकरण वापस लेना चाहती है। ऐसे में अनुमति प्रदान किया जाना उचित है।

अतः आवेदनपत्र स्वीकार कर प्रकरण के प्रत्याहरण/वापसी की अनुमति प्रदान की जाती है।

आगामी दिनांक निरस्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।


(A.K. Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)